न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 214/21 (वाद)

GCMS No. : 2021/524

अनवान

1. श्री सुरेश कुमार पिता कैशुलालजी कलाल निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

............वादी

बनाम्

1. श्री प्रकाशचन्द्र पिता स्व. कैशुलालजी कलाल निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

...............प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री ओमप्रकाश डागलिया, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 20.03.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव कुण्डाल पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर मे मुझ वादी के अधिकार अधिपत्य कब्जे व खातेदारी की आराजी न० 4273/1440 रकबा 0.5261 एवं आराजी न0 4274/1440 रकबा 1.3759 कुल किता दो कुल रकबा 1.9020 हैक्टेयर स्थित है जिसका मे एकमात्र स्वामी हूं और मेरे ही उपयोग उपभोग मे है। उक्त वर्णित आराजीयात के उत्तरी दिशा के पड़ोसी प्रतिवादी प्रकाशचन्द्र की आराजी न0 4272/1440 रकबा 0.2266 हैक्टेयर स्थित है और इसकी नियत मे फितूर उत्पन्न हो जाने से प्रतिवादी मेरी उक्त वर्णित भूमि मे अनाधिकार रूप से जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर मेरी खातेदारी की आराजीयात मे बाउण्ड्रीवाल बनाने पर आमादा है व इस हेतु मौके पर भारी तादाद मे निर्माण सामग्री रेत ईन्ट पत्थर सीमेन्ट इत्यादि डलवा रखे है जिसका इसको कोई विधिक अधिकार नही है और मना करने पर मारपीट करने पर आमादा है इसलिए न्याय हित मे प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है कि वो मेरी उक्त खातेदारी की भूमि मे किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे न

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:51 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा करे न किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे और मौके की पूर्व की स्थिति बनाये रखे ।

2. यह कि वादी का प्राइमाफेसी कैस है क्योकि उक्त वर्णित आराजीयात का मे खातेदार काश्तकार होकर एकमात्र स्वामी हूं और मेरे ही उपयोग उपभोग मे है, सुविधा संतुलन भी मुझ वादी के पक्ष में है क्योकि मे वादी अपनी उक्त खातेदारी की भूमि पर काबिज हूं और मेरे ही उपयोग उपभोग मे है और यदि प्रतिवादी अनाधिकार रूप से दखलदांजी कर जबरन ताकत के बल पर मेरी खातेदारी की भूमि मे कब्जा कर निर्माण कार्य करवा लेगा तो इससे जो क्षति मुझ वादी को होगी उसका मूल्याकंन रूपयो पैसो में किया जाना असंभव है और स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नही होगा।

3. यह कि वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण दिंनाक 19—12—2021 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी जबरन मेरी उक्त खातेदारी की भूमि मे अनाधिकार रूप से प्रवेश कर बाउण्ड्रीवाल बनाने पर आमादा हुआ और मना करने पर मारपीट करने पर आमादा हुआ उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरतंर जारी है ।

4. अंत में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी उक्त वर्णित आराजीयात मे किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे, न कब्जा करे, न बाउण्ड्रीवाल बनावे और न किसी प्रकार का निमार्ण कार्य करे और उक्त कार्य न स्वयं करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावे । यदि दौराने वाद प्रतिवादी उक्त मेरी खातेदारी की जमीन मे जबरन ताकत के बल पर निर्माण कार्य कर लेवे तो इनका निर्माण कार्य इन्ही के खर्चे से हटाया जावे । अन्य सहायता जिसे वादी कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी हो वो प्रदान कराई जावे । ताइद मे शपथ पत्र पैश है।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रकरण में तनकीयात कायम की आवश्यकता नही होने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी गवाह पी. डब्ल्यू 1 सुरेश कुमार पिता स्व. केशुलाल जाति कलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा [illegible] संवत 2077—80 के खाता संख्या 1114 प्रदर्श 1, [illegible] ट्रेस प्रदर्श 2 करवाए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:51 IST
Reason: SelfAttested

गए। विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है इसमें प्रतिवादी का कोई हक अधिकार नही है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा कुण्डाल पटवार क्षेत्र नाहरमगरा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 1114 पर दर्ज आराजी नम्बर 4273/1440, 4274/1440 किता 2 कुल रकबा 1.9020 हैक्टयेर भूमि के संबंध में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। वादी वादग्रस्त भूमि का तन्हा खातेदार है। जमाबंदी के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि मौजा कुण्डाल पटवार क्षेत्र नाहरमगरा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 1114 पर दर्ज आराजी नम्बर 4273/1440, 4274/1440 किता 2 कुल रकबा 1.9020 हैक्टयेर भूमि के अनुसार वादी रेकार्डेड खातेदार हैं। रेकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादी को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्योंकि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी जबरन बेदखल कर देते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू वादी के पक्ष में साबित होते हैं क्योंकि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं साथ ही न्यायालय का यह भी अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का ही कब्जा हो, इस सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा हो तो वादी कब्जा प्राप्त करने के लिए इस वाद के तहत् अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। इसके लिए वादी सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:51 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा कुण्डाल पटवार क्षेत्र नाहरमगरा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता सं. 1114 पर दर्ज आराजी नम्बर 4273/1440, 4274/1440 किता 2 कुल रकबा 1.9020 हैक्टयेर भूमि में प्रतिवादी, वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादी का है तो वादी, प्रतिवादी को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:51 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री सुरेश कुमार पिता कैशुलालजी कलाल निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

............वादी

बनाम्

1. श्री प्रकाशचन्द्र पिता स्व. कैशुलालजी कलाल निवासी नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

...............प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 214/21 (वाद)

GCMS No. : 2021/524

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा कुण्डाल पटवार क्षेत्र नाहरमगरा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 1114 पर दर्ज आराजी नम्बर 4273/1440, 4274/1440 किता 2 कुल रकबा 1. 9020 हैक्टयेर भूमि में प्रतिवादी, वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादी का है तो वादी, प्रतिवादी को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.03.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:51 IST
Reason: SelfAttested